राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांकः पं. 4(1) राजकॉम्प प्रोजेक्ट/न्याय/2016 जयपुर, दिनांक : 17.09.2019

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/
   शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. जिला कलक्टर
   (जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

विषयः– लाईट्स सॉफ्टवेयर में दर्ज न्यायिक प्रकरणों की सूचनाओं को सर्वसाधारण (Public) हेतु प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उनसे सम्बन्धित सूचनाऐं नागरिको के लिये अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित की जा रही है, उसी क्रम में लाईट्स सॉफ्टवेयर (http://lites.law.rajasthan.gov.in) पर राज्य सरकार के विभागों द्वारा दर्ज न्यायिक प्रकरणों की सूचनाओं को सार्वजनिक (Public) करने के लिए प्रदर्शित कर दिया गया है, जिससे उक्त सूचंनाऐं/जानकारियॉ सर्वसाधारण को बिना लॉगिन–आई.डी. के उपलब्ध हो गयी है। इस सुविधा का उपयोग सरकारी कार्यालयों द्वारा भी अन्य सरकारी कार्यालयों के न्यायिक प्रकरणों की सूचना प्राप्त करने हेतु किया जा सकता है।

उक्त वर्णन के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है, कि उक्त सुविधा का अनुकूलतम उपयोग करने एवं न्यायिक प्रकरणों से संबंधित सूचनाओं का इन्द्राज/अद्यतन सम्यक रूप से करने के लिए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशत करने का श्रम करें, जिससे सर्वसाधारण को न्यायिक प्रकरणों की अद्यतन सूचना लाईट्स सॉफ्टवेयर पर नियमित रूप से प्राप्त हो सके।

भवदीय

शासन संयुक्त सचिव

D:\SO\P.4(1)Rajcomp Project\Justice\2016